Frequently Asked Question (FAQ)

1. पंचायत में काम शुरू करने के पहले क्या करना चाहिए ?

उत्तर:- सबसे पहले पंचायत के सभी गावों का बेसलाइन डाटा (Form A03 IMIS/Report Card) डाउनलोड करवा लें । जिस गांव में काम शुरू करना है, वहां उत्प्रेरकों द्वारा CLTS/CAS के माध्यम से जागरूक करें एवं स्वछता के बारे में जानकारी देकर शौचालय निर्माण एवं इसके सतत् उपयोग के प्रति प्रेरित करें। इस प्रक्रिया के उपरांत उस गांव का Open Defecation Elimination (ODEP) प्लान बनवाकर आम सभा से पारित करवा लें । उस ODEP प्लान से बेसलाइन डाटा का मिलान कर लें।

2. जब लाभार्थी का नाम बेसलाइन डाटा में नहीं मिलता है तो क्या करेंगे ?

उत्तर:- इस तरह की स्थिति में सबसे पहले उस गांव के बेसलाइन डाटा में देखेंगे कि लाभार्थी की संख्या ज्यादा है तो जो नाम ODEP प्लान से नहीं मिल रहा होगा, उस अवांक्षित नाम को संशोधित कर उसके बदले वास्तविक लाभार्थी का नाम अपडेट किया जाना है। लेकिन अगर उस गांव के बेसलाइन डाटा में ODEP प्लान से कम नाम हैं, तब उस गांव में नया नाम किसी दूसरे गांव से जहाँ ज्यादा नाम का डाटा होगा, वहां से नाम को ट्रान्सफर करके अपडेट करेंगे।

3. जब किसी गांव में लाभार्थी का नाम बेसलाइन डाटा में नहीं हो यानि की उस गांव के A03 मोड्यूल के अनुसार जीरो (0) या कम लाभार्थी दिखा रहा हो तब क्या करेंगे ?

उत्तर:- इस तरह के Case में हमें देखना होगा की किस गांव के बेसलाइन डाटा में ODEP के अनुसार ज्यादा लाभार्थी हैं, उस गांव के एक्स्ट्रा डाटा को इस गांव में ट्रान्सफर कर देंगे और उसी फैमिली ID को वास्तविक नाम से अपडेट करते हुए इंसेंटिव पेमेंट में भी उपयोग करेंगें|

4. क्या वार्ड ODF के पहले लाभार्थी फार्म IMIS पर इंट्री करेंगे या नहीं ?

उत्तर:- हां , जैसे जैसे घरों में शौचालय का निर्माण होता जा रहा हो वैसे ही फार्म भरवाकर उसका जांच करवाते हुए फॉर्म को प्रखंड कार्यालय में IMIS इंट्री के लिये जमा करेंगे |

5. प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए आच्छादन शर्त्त क्या है ?

उत्तर:- कार्यालय आदेश संख्या 385671 दिनांक 24.08.2018 ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा भुगतान हेतु आच्छादन की संशोधित शर्त्त निम्नलिखित है :-

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना के कार्यान्वयन हेतु ज्ञापांक 68/सी० दिनांक 05.08.2016 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये

हैं। इस दिशा-निर्देश की कंडिका 9 में प्रोत्साहन राशि की भुगतान हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के वार्ड को खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जाने की शर्त्त को कार्यालय आदेश संख्या 375971 दिनांक 21.06.2018 द्वारा संशोधित करते हुए 50 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं उपयोग किये जाने के उपरांत प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निदेश संसूचित है।

समीक्षोपरान्त प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु आच्छादन के शर्त्त को अब संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया है कि जिन प्रखण्डों में SBM-G के IMIS के अनुसार 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं उपयोग किया जा रहा है, उनमें वार्ड स्तर पर बनाये गये आच्छादन की शर्त्त को समाप्त किया जाता है अर्थात् उन प्रखण्डों में योग्य लाभार्थियों के द्वारा शौचालय निर्माण एवं उपयोग करने के उपरांत नियमानुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान के प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है। जिन प्रखण्डों में आच्छादन 50प्रतिशत से कम है उन प्रखण्डों में विभागीय ज्ञापांक 375971 दिनांक 21.06.2018 के प्रावधान लागू होंगे।

6. अगर किसी गांव में लाभार्थी का नाम नहीं है तो क्या उसी पंचायत के दूसरे गांव में अपडेट कर देंगे?

उत्तर:- नहीं, अगर किसी गांव में लाभार्थी का नाम नहीं मिलता है तो सबसे पहले वैसा गांव खोजना है जहाँ ODEP प्लान के अनुसार ज्यादा लाभार्थी का नाम है। उस गांव से एक्स्ट्रा नाम को जरूरतमंद गांव में ट्रान्सफर कर लेंगे, तब जाकर फॉर्म का इंट्री करेंगें। अन्यथा दूसरे गांव में इंट्री करने से उस गांव को ODF घोषित करने एवं GEO tagging में भविष्य में परेशानी होगी।

7. अगर किसी घर के मुखिया के नाम पर बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या घर के किसी सदस्य को प्रोत्साहन राशि दिया जा सकता है ?

उत्तर:- हां, शर्त यह है कि उसी सदस्य के नाम से IMIS में Entry होनी चाहिए।

8. गांव को ODF घोषित करने के पहले क्या क्या जांच करना जरुरी है ?

उत्तर:- ODEP प्लान के अनुसार सभी लाभार्थी का नाम IMIS पर जरुर अद्यतन हो जाना चाहिए। IMIS पर अतिरिक्त नाम को उस गांव से हटा देना चाहिए। प्रथम स्तर का वेरिफिकेशन कर लिया जाना चाहिए।

9. कितने दिनों के बाद ODF घोषित गांव का सत्यापन कराना जरुरी है ?

उत्तर:- विभागीय पत्रांक संख्या 107 सी० दिनांक 08.11.2016 के अनुसार सत्यापन कराया जाना है। ब्लॉक लेवल की टीम द्वारा तीन महीनों के भीतर उस गांव का सत्यापन कराना जरुरी है एवं उसका विवरण आइ०एम०आइ०एस० पर अद्यतन किया जाना आवश्यक है।

10. GEO Tagging के लिए एक सदस्य को कितना आवंटित करेंगे ?

उत्तर:- एक बार में सिर्फ एक गांव ही आवंटित किया जा सकता है। एक से ज्यादा गांव या एक बार में 200 से ज्यादा लाभार्थी की GEO tagging एक सदस्य को एक बार में

नहीं करनी है | जब आवंटित लाभार्थी का GEO tagging पूरा हो जाये तब उस सदस्य को दूसरा गांव या लाभार्थी (200 से ज्यादा संख्या रहने पर) आवंटित किया जा सकता है।

11. GEO tagging कब करवाना चाहिए ?

उत्तर:- भौतिक रूप से पूर्ण शौचालय का सत्यापन के उपरान्त IMIS में इंट्री के बाद GEO tagging करवाना जरुरी है |

12. IHHL फॉर्म का इंट्री IMIS में हो जाने के बाद फॉर्म का क्या करेंगे ?

उत्तर:- सभी IHHL फॉर्म को वार्ड एवम पंचायत के अनुसार फाइल में सुरक्षित ब्लाक ऑफिस में रखना सुनिचित करेंगें |

13. **भुगतान के लिए IHHLब्लॉक स्तर से एंट्री की प्रक्रिया क्या है ?**

उत्तर:- LSBA IMIS पर योग्य लाभार्थी (IHHL) की प्रविष्टि एवं प्रोत्साहन राशि भुगतान की नयी प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

1. सर्वप्रथम पूर्व की भांति योग्य लाभार्थियों का IHHL निर्माण के उपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित सत्यापनकर्त्ता एवं जांचकर्ता(नोडल कर्मी) से हस्ताक्षरित पूर्ण आवेदन प्रखंड स्तर पर प्राप्त कर उसकी प्रविष्टि SBM – G IMIS पर की जायेगी । तत्पश्चात लाभार्थियों का Geo Tagging किया जायेगा जिसका approval जिला स्तर से होता है ।

2. इसके उपरांत संबंधित अहर्ता पूर्ण होने के बाद प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु LSBA IMIS पर योग्य लाभार्थी (Geo Tagged) का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए प्रोत्साहन राशि (जो **लाभार्थी *** Geo Tagged है एवं जिनके शौचालय की प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभी तक किसी भी योजना से नहीं किया गया है) का भुगतान पूर्व में किया जाता था परन्तु नयी प्रक्रिया के तहत योग्य लाभार्थी (जो लाभार्थी* Geo Tagged है एवं जिनके शौचालय की प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभी तक किसी भी योजना से नहीं किया गया है) का सम्पूर्ण विवरण Webservice के माध्यम से LSBA IMIS पर वास्तविक समय (Real Time) में उपलब्ध है, जो स्वतः अद्यतन होता है ।

   (नोट: लाभार्थी*- जिन लाभार्थियों को SBM-G, GAP एवं अन्य योजना यथा मनरेगा या PMAY या IAY के अन्तर्गत शौचालय हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया एवं जिन लाभार्थियों द्वारा स्वयं शौचालय निर्माण किया गया है, वैसे लाभार्थियों को छोड़कर।)

3. Geo Tagged लाभार्थी का विवरण LSBA के Report menu में “Export Download Baseline data of IMIS” में उपलब्ध होगा, जिसे पंचायत एवं ग्राम स्तर पर Filter कर देखा जा सकता है । यह विवरणी जिला एवं प्रखंड स्तर के login पर भी उपलब्ध है ।

4. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मी (यथा-कम्प्युटर ऑपरेटर या अन्य) जिसे maker के रूप नामित किया गया है के login id से Geo Tagged योग्य **लाभार्थी *** (जो लाभार्थी Geo Tagged है एवं जिनके शौचालय की प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभी तक किसी भी योजना से नहीं किया गया है) का विवरण “Registraton menu” में भी उपलब्ध है ।“Registraton menu” के “Approved Geo Tagged Beneficiary List” में

लाभार्थी के नाम पर क्लिक करने के बाद “Single Page Entry” के पेज पर लाभार्थी का पूरा विवरण जो SBM-G IMIS पर उपलब्ध होता है वह प्रदर्शित हो जायेगा जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ।

5. उपरोक्त Single Page entry में सिर्फ **लाभार्थी*** (जो लाभार्थी Geo Tagged है एवं जिनके शौचालय की प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभी तक किसी भी योजना से नहीं किया गया है) का सिर्फ आधार संख्या, बचत खाता संख्या एवं IFSC कोड की प्रविष्टि किया जाना है एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान MIS पर Verifier (सत्यापनकर्त्ता) के नाम को Tag कर entry किये गये data को submit करने के उपरांत यह विवरणी BDO के login में उपलब्ध होगा ।

   BDO द्वारा अपने login में “Quick Process” मेनू के “Final Inspection SBM” के पेज पर Inspection के लिए उपलब्ध सारे लाभार्थी के विवरण को संबंधित फार्म से मिलान कर उसे inspector (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मी के द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षरित) के साथ tag किया जाता है । इसके बाद लाभार्थी का पूरा विवरण “Digital Payment” के “Generate Payment File” के page पर digital signature के माध्यम से प्रोत्साहन राशि के हस्तांतरण के लिए BDO Login में उपलब्ध होता है जिसे digital signature के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।

6. इस प्रक्रिया के प्रारंभ करने से पूर्व, जिन लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्रविष्टि की गयी थी जिनकी समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि उसमें कुछ ऐसे लाभार्थी है जिनका Geo Tagging नहीं हुआ है , या Baseline नंबर गलत है ,या उन्हें पहले किसी अन्य योजना से शौचालय की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चूका है,वेसे सारे लाभार्थियों को Isba IMIS से हटा दिया गया है एवं शेष लाभार्थियों (जिन लाभार्थियों का जियो टैंगिग जिला स्तर से approve है तथा विवरणी सही है परन्तु प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है) को नयी प्रक्रिया में उनके खाता विवरण के साथ Shift कर दिया गया है जो कि BDO के Login में “Quick Process” मेनू के “Final Inspection SBM” के पेज पर Inspection के लिए उपलब्ध होगा, जिसे नई प्रक्रिया के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार एकीकृत भुगतान प्रक्रिया से लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

7. प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रोत्साहन राशि से संबंधित दस्तावेजों (फोटोयुक्त आवेदन, नामित नोडल पदाधिकारियों की सूची, बेसलाइन सर्वे की प्रति, ODEP की प्रति, ग्रामसभा से अनुमोदित ODEP की प्रति) का दस्तावेजीकरण वार्डवार एवं पंचायतवार व्यवस्थित तरीके से पहले की तरह करते रहना है ।

14. IHHL भुगतान के लिए Inspection की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर:- IHHL भुगतान की Entry के बाद लाभार्थी का सारा विवरण BLKADM(BDO) लॉग-इन के “Quick Process” मेनू के “Final Inspection” Page पर इंस्पेक्शन के लिए उपलब्ध होता है | यहाँ पर Inspection से पहले यह सुनिश्चित कर लें की लाभार्थी का वार्ड 50% ODF हो गया है, उसकी Geo-Tagging हो गयी है एवं जिला से उसकी Geo-Tagging

Approve (SBM-G IMIS) पर हो गयी है तथा वह लाभार्थी प्रोत्साहन राशि पाने योग्य है। यहाँ पर लाभार्थी को "Inspector" के साथ Tag किया जाता है | Inspector की Entry "Master Menu" में "CreateUser For Inspection" में करते हैं| "Inspector" Block(BDO) द्वारा नामित कोई भी पधाधिकारी या कर्मी हो सकता है, जिस BDO द्वारा वार्ड /गांव /ग्राम पंचायत का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया हो एवं उनके द्वारा शौचालय पूर्णता (भौतिक सत्यापन) के प्रमाण हेतु आवेदन पर हस्ताक्षारित कर दिया गया हो।

15. लाभार्थी के Incentive भुगतान हेतु किनका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है?

उत्तर:- LSBA अंतर्गत लाभार्थी के भुगतान हेतु मात्र एक पेज के आवदेन पर आवेदक का हस्ताक्षर साथ ही प्रखंड द्वारा अधिकृत वार्ड/ग्राम/ ग्राम पंचायत के नोडल अधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसके अलावा सामुदायिक संगठन (CBO) के सदस्य/वार्ड सदस्य / मुखिया का हस्ताक्षर कराया जा सकता है, जो वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है।

16) IHHL भुगतान की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर:- लाभार्थी के Inspection के उपरांत लाभार्थी का विवरण BLKADM(BDO) लॉग इनके "Digital Payment" Menu के "Generate Payment File For ICICI" Page में payment के लिए उपलब्ध होता है | यहाँ पर पंचायत, गावं, वार्ड एवं योजना का चयन करके लाभार्थी के नाम का चयन करते हैं | इसके उपरांत BDO का Digital Signature Apply करना है |

17) Digital Signatiure Registration(BLKADM लॉग इन) क्या है?

उत्तर:- BLKADM(BDO) लॉग इनके "Digital Payment" Menu के"Register Digital Signature" Page में BDO का Digital Signature Register करे | Register करने की प्रक्रिया निम्न है |

Instructions to register Digital Signature

Install driver of Digital signature driver

Paste

For 64 bit system

1. Interop.CAPICOM.dll
2. capicom.dll

To - C:\Windows\SysWOW64

Run Windows7-64bit.bat file as administrator

For 32 bit system

1. Interop.CAPICOM.dll
2. capicom.dll

To - C:\Windows\Sysstem32

Run Windows7-32bit.bat file as administrator

Link for DLL and .bat file -

http://164.100.181.16/SSDGSAP/Registerdll.htm

Download **CapicomForWindows7-32bit** for 32 bit system

Download **CapicomForWindows7-64bit** for 64 bit system

Internet Explorer Setting

1. Setting - Safety -- Activex Filtering (Not Available in old version)
2. Tool - Compatibility View Settings - Add URL

Internet Option - Security -Custom Level

1. Activex Control and plug-ins (Enable)
2. Allow previously unused Activex control --- (Enable)
3. Download unsigned Activexcontrol(not secure) -- Enable
4. Initialize and script ActivX Control not marked safe for scripting – Enable

18) Salary भुगतान(BDO , DRDA एवं DDC लॉग-इन से) कैसे करेंगे?

उत्तर:- Salary के भुगतान के लिए "Expenditure & Salary" Menu में "Name Entry For Salary" Page में अपना विवरण प्रविष्ट करें |

19) IEC, CB, Swachhagrahi एवं Vendor का भुगतान (BDO , DRDA एवं DDC लॉग-इन से) की प्रक्रिया कैसे पूर्ण की जाएगी?

उत्तर:- IEC, CB, Swachhagrahi एवं Vendor के भुगतान के लिए "Expenditure & Salary" Menu में "Name Entry For Expenditure & Others" Page में विवरण प्रविष्ट करें।

20) Geo-Tagger का भुगतान (BDO , DRDA एवं DDC लॉग-इन से) की प्रक्रिया कैसे पूर्ण की जाएगी?

उत्तर:- Geo-Tagger के भुगतान के लिए "Expenditure & Salary" Menu में "Surveyor Name Entry For Geo Tagging Payment" Page में विवरण प्रविष्ट करें।

21) एक ही व्यक्ति स्वच्छाग्रही एवं Geo-Tagger दोनों है तो भुगतान कैसे करेंगे?

उत्तर:- यदि एक ही व्यक्ति Geo-Taggerएवं Swachhagrahi दोनों है तो उसके भुगतान के लिए सिर्फ "Expenditure & Salary" Menu में "Surveyor Name Entry For Geo Tagging Payment" Page में विवरण प्रविष्ट करें।

22) Lock Payment (BDO , DRDA एवं DDC लॉग-इन से) का उद्देश्य क्या है?

उत्तर:- IEC,CB, Swachhagrahi या Salary के भुगतान के लिए "Expenditure & Salary" Menu में "Lock Payment" Page मेंHead,Subhead,Month,Yearएवं Scheme का चयन करे | इसके उपरांत जिसे भुगतान करना है उसका चयन करते हुए राशी अंकित करें तथाLock Payment Button पर क्लिक करें, जिससे भुगतान राशि Freeze हो जाता है एवं Digital Payment के लिए तैयार हो जाता है।

23) भुगतान करने के लिए (BDO , DRDA एवं DDC लॉग-इन) क्या है।

उत्तर:- Lock Payment करने के बाद "Expenditure & Salary" Menu में "Generate Payment File For ICICI" Page में BDO , DRDA या DDC जिनके भी लॉग इन से आप Payment कर रहे है उनका Digital Signature Apply करें|

24) Geo Tagging भुगतान के लिए नाम नहीं दिख रहा है ?

उत्तर:- अगर Lock Payment करने के बाद "Expenditure & Salary" Menu में "Generate Payment File For ICICI" Page में Geo Tagger का नाम नहीं दिख रहा तो इसका मतलब की उसकी एंट्री "Expenditure & Salary" Menu में "Name Entry For Expenditure & Others" Page में किया गया है | ऐसे सारे लाभार्थी की सूची सुधार करने के लिए excel sheet में lsbanichelp@gmail.com पर साझा करें |

25) Cheque द्वारा किये गए IHHL भुगतान नहीं होने के सन्दर्भ में क्या किया जाना है?

उत्तर:- अगर आपने Cheque के माध्यम से भुगतान किया है और लाभार्थी के खाते में राशी नहीं गयी है तो ऐसे सारे लाभार्थी की सूची सुधार करने के लिए BDO के letter के साथ excel sheet में लाभार्थी की विवरणी lsbanichelp@gmail.com पर साझा करें |

26) अगर IFSC कोड उपलब्ध नहीं है, तो क्या करें ?

उत्तर:- अगर कोई IFSC Code प्रबिष्ट कर रहे और वह IFSC उपलब्ध नहीं है का मेसेज आ रहा तो पहले यह सुनिश्चित कर लें की वह IFSC बिहार का है। IFSC कोड की सूची जोड़ने के लिए lsbanichelp@gmail.com पर साझा करें |

27) बेसलाइन नंबर पहले से किसी और के लिये उपलब्ध है, बताया जा रहा है, ऐसे में क्या करें ?

उत्तर:- IHHL Entry करते समय अगर यह मेसेज आ रहा की यह बेसलाइन नंबर पहले से किसी और लाभार्थी के लिए उपयोग किया जा चुका है , इसका मतलब है कि आपसे पहले उस बेसलाइन नंबर के साथ किसी अन्य लाभार्थी की एंट्री भुगतान के लिए की जा चुकी है | ऐसी स्थिति में बेसलाइन की सूची lsbanichelp@gmail.com पर साझा कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

28) दो गड्ढे वाले शौचालय के बजाय अगर आवेदन ने सेप्टिक शौचालय का निर्माण किया गया है तो क्या लाभार्थी को भुगतान किया जा सकता है?

उत्तर-:स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के गाइडलाइंस में यह नहीं लिखा है कि दो गड्ढे वाले शौचालय बनाने पर ही लाभार्थी का भुगतान किया जाना है। सस्ता ही नहीं अच्छा शौचालय होने के कारण केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दो गड्ढे वाले शौचालय को प्रोमोट किया जा रहा है। सेप्टिक शौचालय के मामले में यह देखना होगा कि इससे निकलने वाला गंदा पानी नालियों में नहीं बहाया जा रहा हो, इसके लिए सोख्ता का निर्माण किया गया हो। शर्त यह है कि परिवार का हर व्यक्ति शौचालय का प्रयोग कर रहा हो, उसके व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित हो, तो प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर सोख्ता निर्माण हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

29) किसी ने दो गड्ढे के बजाय एक गड्ढे का निर्माण कराया है, क्या भुगतान किया जा सकता है?

उत्तर-:अगर परिवार के व्यवहार में परिवर्तन होना पाया जाता है एवं आवेदक के द्वारा शौचालय का उपयोग किया जा रहा है तो दूसरा गड्ढा तैयार करने हेतु प्रेरित करते हुए भुगतान किया जा सकता है एवं अनुश्रवण के माध्यम से दूसरा गड्ढा का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

30. शौचालय के सुपरस्ट्रक्चर में कंक्रीट-सीमेंट की छत नहीं है या जलभंडारण हेतु टंकी नहीं है इत्यादि, ऐसे में क्या लाभार्थी का भुगतान किया जा सकता है ?

उत्तर- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के गाइडलाइंस में शौचालय के सुपरस्ट्रक्चर निर्माण तकनीक, डिजाइन, निर्माण सामग्री विवरणी, लागत आदि एवं इससे संबंधित गणना का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि शौचालय के सुपरस्ट्रक्चर के किसी निर्माण की नापी (M.B.) का प्रावधान नहीं किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में Sub-Structure के लिए कम लागत एवं उच्च तकनीक युक्त दो गड्ढे वाला सोख्ता शौचालय को प्रोत्सहित (Promote) किया जाता है। वस्तुत: शौचालय का निर्माण लाभार्थियों द्वारा किया जाना है एवं SBM-G का मूल उद्देश्य व्यक्ति एवं समुदाय द्वारा शौचालय का निर्माण एवं इसका सतत उपयोग (व्यवहार परिवर्तन) है । अत: किसी व्यक्ति द्वारा अपने खर्च पर बनाए गए शौचालय में किसी भी छत के प्रकार, पैन के प्रकार, जलभंडारण की सुविधा की उपलब्धता इत्यादि को प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबद्ध नहीं किया गया है।

31) ग्राम पंचायत बड़ा है, क्या तीन या चार के बजाय आवश्यकतानुसार छह या सात स्वच्छाग्रही रखे जा सकते हैं?

उत्तर-:आवश्यकतानुसार रखे जा सकते हैं। ध्यान रखना है कि स्वच्छाग्रहियों को भुगतान करने संबंधी 150 रुपये प्रति शौचालय का नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो।

32) कार्यक्रम के स्थायित्व के लिए क्या निगरानी समिति को भी भुगतान कर सकते हैं?

उत्तर-:ग्राम पंचायत में निर्मित व्यक्तिगत शौचालय की संख्या को 150 रुपये से गुणा करने पर प्राप्त रकम उत्प्रेरण मद में खर्च किया जाना है। आम तौर पर उत्प्रेरण के लिए स्वच्छाग्रहियों की तैनाती होती है, पर आवश्यकता महसूस होने पर 150 रुपये प्रति शौचालय व्यय की सीमा का अनुपालन करते हुए निगरानी समिति को भी भुगतान किया जा सकता है